

पत्रावली दिनांक 30/1/18 को पेश है। (2)

30/1/18 पत्रावली पेश हुई। श्री ओ. राधकृष्ण
से बाहर होने से पत्रावली दिनांक 13/4/18
से पेश है। (3)

31/1/18 पत्रावली प्रस्तुत। पीठ को राधकृष्ण का त्याग पत्र होने
से पत्रावली दिनांक 24/8/18 को पेश है। (4)

24/3/18 पत्रावली प्रस्तुत। वादी वकील 3 परिपत्र।
वादी वकील ने विद्वो प्राप प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि हम परकारों के मध्य
राजिनामा हो गया है अतः वाद की कार्यवाही
नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाद जातिने विद्वो
स्वीकृत कराने। जिस पर सुना गया। वादी
की पहचान वादी के वकील श्री जालाराम पुत्रिया
ने की। अतः वादी का वाद जातिने विद्वो प्राप
के स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
एवं नज्द से कम होकर दारिजद प्रकर है।

रहस्य 14

(5)